न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी	:::	सुजीत कुमार तँवर, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	:::	324 / 2023
सीआईएस नम्बर	:::	333 / 2023
सीएनआर नंबर	:::	**RJHG100006252023**

राजस्थान राज्य

बनाम

रोहित यादव पुत्र जरनैल सिंह, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नंबर 16 पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

— अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता

उपस्थितिः–

1– अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य पक्ष।

2– श्री आत्मा सिंह गोदारा, विद्वान अधिवक्ता परिवादिया।

3– श्री शिव शंकर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:निर्णयः– **दिनांक : 02.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.12.2021 को परिवादिया तमन्ना ने न्यायालय हाजा के समक्ष एक परिवाद प्रदर्श पी–1 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की शादी 23.11.2016 को रोहित यादव पुत्र श्री जरनैल सिंह यादव जाति यादव निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के साथ मुताबिक हिन्दु रिति–रिवाज के सम्पन्न हुई थी। उक्त विवाह से प्रार्थीया के एक पुत्र आयु 7 माह पैदा हुआ, जो वर्तमान में प्रार्थीया के पास हैं। प्रार्थीया की शादी में प्रार्थीया के माता–पिता ने उपहार स्वरूप 22,000/–रूपये नगद, पांच तोला सोना के जेवरात, पच्चीस तोला चांदी के जेवरात, डबल बैड मय गद्दा, अलमारी, सन्दूक, मेज, सोफा, ड्रैसिग टेबल बर्तन आदि घरू जरूरत का सामान दिया था उक्त सामान से प्रार्थीया का पति रोहित, ससुर जरनैल सिंह, देवर सत्यम, सास सुशीला, नन्द प्रियंका खुश नहीं हुए व कहने लगे कि तुम्हारे माता–पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार दहेज नहीं दिया, हमारी समाज में नाक कटवा दी और प्रार्थीया को मानसिक एवं शारिरीक प्रताड़ित करने लग गए। किन्तु प्रार्थीया अपना घर बसाने के लिए उक्त मुलजिमान के जुल्मों को सहती रही। वर्ष 2018 में उक्त मुलजिम ने प्रार्थीया से मारपीट की व प्रार्थीया को घर से निकाल दिया, जिस पर प्रार्थीया के परिजनों ने प्रार्थीया के ससुराल वालों को एक लाख रूपये नगद व एक स्कुटी दी तो प्रार्थीया के ससूराल वाले प्रार्थीया को बसाने के लिए राजी हुए, किन्तु कुछ समय बाद उक्त मुलजिमान दहेज की मांग को लेकर पुनः प्रार्थीया के साथ मारपीट करने लगे व दहेज में तीन लाख रूपये व कार की मांग करने लगे। आज से सात माह पूर्व प्रार्थीया के जब पुत्र हुआ तो उक्त मुलजिमान छूछक में तीन लाख रूपये नगद व कार की मांग करने लगे। प्रार्थीया की माता ने इतने पैसे नहीं होने व लडकी को बसाने के लिए मुलजिमान की बहुत मिन्नत की तो उक्त लोग प्रार्थीया को अपने साथ ले गये किन्तु प्रार्थीया की ननद व देवर प्रार्थीया को हर रोज दहेज के लिए

प्रताडित करते थे व प्रार्थीया के मासूम बच्चे को परेशान करते थे। उक्त मुलजिमान ने प्रार्थीया से जबरदस्ती एक सुसाईड नोट भी लिखवाया व कई खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिये। आज से करीब 3 माह पूर्व प्रार्थीया का पति, प्रार्थीया को हनुमानगढ़ लेकर आया और कहा कि अब मैं तेरे साथ यहीं पर निवास करूंगा, किन्तु प्रार्थीया का पति, प्रार्थीया को छोडकर पीलीबंगा वापिस चला गया। प्रार्थीया ने उसे उसके साथ रहने के लिए कई बार फोन किया, किन्तु वह नहीं आया और प्रार्थीया को कहा कि यदि तू मुझे तीन लाख रूपये व कार लाकर नहीं देगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा और तेरे साथ कभी अपना घर नहीं बसाउंगा। दिनांक 11.12.2021 को प्रार्थीया अपना घर बसाने के लिए हनुमागनढ़ से पीलीबंगा अपने ससुराल में गई तो प्रार्थीया के पति, देवर, सास–ससर व ननद ने मिलकर प्रार्थीया के साथ मारपीट की जिस पर प्रार्थीया की दाद सासु कमला देवी ने आकर प्रार्थीया को छुडाया। प्रार्थीया ने पुलिस को उक्त घटना सूचना दी तो पुलिस ने आकर प्रार्थीया के पति को गिरफतार कर पाबन्द किया। प्रार्थीया के ससुराल वालों ने प्रार्थीया से कहा कि जब तू अपने पीहर से तीन लाख रूपये व कार नहीं लेकर आयेगी, तब तक तुझे नहीं बसायेगे। प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया को दहेज की मांग को लेकर नहीं बसा रहे है व प्रार्थीया की अनुमति के बिना उसके स्त्रीधन का उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थीया ने इस सम्बन्ध में दिनांक 13.12.2021 को पुलिस थाना संगरिया में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था व दिनांक 14.12.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ को परिवाद भेजा था, जिस पर पुलिस थाना संगरिया द्वारा न तो कोई कार्यवाही की गई और ना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई...... इत्यादि।

2. परिवादीया के उक्त परिवाद पर न्यायालय हाजा के धारा 156(3) सीआरपीसी आदेश के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 46/2022, अपराध धारा 498ए, 323 भादस, पुलिस थाना संगरिया में दर्ज हुई और बाद अनुसंधान अभियुक्त रोहित यादव के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 323 भादस में आरोप–पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिये जाने पर यह प्रकरण आपराधिक नियमित दर्ज रजिस्टर हुआ है।

3. हस्तगत प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त रोहित यादव को धारा 498ए, 323 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त अपराधों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.ड–1 तमन्ना यादव, पीड–2 सन्नी कुमार, पीड–4 अमीरचन्द, पीड–5 आशीष सोनी, पीड–6 इमीचन्द, पीड–7 विजय कुमार मीणा, पीड–8 डॉ. अरविन्द शर्मा को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–10 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. हस्तगत प्रकरण में बयान मुलजिम के प्रक्रम पर परिवादिया तमन्ना ने न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभियुक्त रोहित यादव के साथ राजीनामा जाहिर करते हुए एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर सुना

जाकर परिवादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 भादस में राजीनामा तस्दीक किया गया है।

6. अभियुक्त के अभिकथन अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये जिसमें स्वयं के विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर अभियुक्त का साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये सभी गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा अपने बयानों में अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गयी है। अभियुक्त का परिवादिया के साथ राजीनामा हो गया है। अंत में अभियुक्त के निर्दोष होने से उसे दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. वहीं अधिवक्ता परिवादिया व अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस संयुक्त रूप से तर्क दिया कि परिवादिया का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है और परिवादिया उक्त प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अंत में पत्रावली का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

> **1.** आया अभियुक्त रोहित यादव परिवादिया तमन्ना का पति होते हुए अपने विवाह के पश्चात् एवं परिवादिया द्वारा परिवाद पेश करने से पूर्व किसी भी समय परिवादिया से तीन लाख रूपये नगद व एक कार की माँग को लेकर परिवादिया को तंग, परेशान कर शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की एवं परिवादिया के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की ?
>
> **2.** यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण की परिवादिया तमन्ना बतौर अभियोजन साक्षी पीड—1 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.11.2016 को उसके शादी रोहित यादव के साथ हुयी थी। शादी में उसे उसके माता पिता द्वारा घरेलू सामान व नकद 22,000/—रूपये दिये थे व सोने चांदी के जेवरात उसे दिये थे। उसके द्वारा यह सामान अमानत के तौर पर अपने पति रोहित व उसके पिता जरनैल सिंह यादव को सुपुर्द कर दिया था। उसकी शादी के दो माह बाद उसके साथ उसके पति, उसके सास ससुर, ननद प्रियंका व उसके देवर सत्यम उसके साथ मारपीट करते थे। उसके साथ मारपीट इसलिए करते थे कि यह सभी कहते थे कि उनकी समाज में नाक कटवा दी गयी है और उन्हें उनकी हैसियत के अनुसार दान दहेज नही दिया गया है। सन 2018 में उसे दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब उसकी नानी की मृत्यु हुयी

थी तो वहा उसके ससुराल वाले आये थे और वहा पर बातचीत हुयी जिसमे उसके पति व उसके माता पिता द्वारा हमें कहा गया कि हमें आप स्कूटी व पैसे दे दो तो हम आपकी बेटी को अपने साथ ले जायेंगे तो उनके द्वारा इस बात पर उन्हें एक लाख रूपये नकद व स्कूटी के 60,000 / –रूपये नकद अलग से दिये थे। उसके बाद वह अपने ससुराल चली गयी। वहां पर वह अपने पति के साथ अलग किराये के मकान में रहती थी। उसके पति अपनी माता पिता से मिलने के बाद उसके साथ मारपीट करते थे। उसके साथ छोटी मोटी बात को लेकर उसके पति उसके साथ मारपीट करते रहते थे। सन 2019 में उसकी ननद प्रियंका की शादी थी तो उसके सास ससुर उसे अपने साथ अपने घर ले गये। फिर अप्रैल, 2020 में उसके साथ उसके पति व सास ससुर ने मारपीट की। उसे किस बात के लिए मारा था आज उसे याद नही है। फिर इस मारपीट को लेकर मै थाने गयी वहा पर उसके पति व सास ससुर मारपीट के लिए मुझसे माफी मांगी। फिर उसके बाद मै अपने घर आ गयी। बाद में उसके पति ने तीन लाख रूपये की मांग को लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात को लेकर उसने सन 2020 में उसने घर बसाने के लिए मुकदमा किया था। वह अगस्त, 2020 में जब उसे उसके पति नही लेने आये तो वह उनके पास चली गयी। फिर मई, 2021 में उसके एक बेटा हुआ। उसके बेटे होने पर उसके पति व सास ससुर ने कहा कि छुछक में गाडी व तीन लाख रूपये आप हमें दे दो। उसके बाद वह संविदा पर नौकरी लगी थी तो उसे उसके पति ने हनुमानगढ़ छोड दिया और कहा कि वह तेरे पास हनुमानगढ़ रोज आ जाया करूंगा। उसके पति उसके पास एक दो बार आये परन्तु बाद में नही आये जब अन्तिम बार आये थे तो उसके साथ मारपीट करके गये थे। जब दो तीन महीने उसका पति उसके पास नही आये तो वह 11 दिसंबर 2021 को वापिस पीलीबंगा अपने बेटे के साथ अपने ससुराल चली गयी तो वहा पर उसके साथ उसके सास ससुर द्वारा उसे पकड लिया और उसके पति द्वारा मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने इस घटना को लेकर पीलीबंगा थाने में दरख्वास्त लगा दी। उसे सास ससुर द्वारा यह बोला गया कि तू उनके घर क्यों आयी है। इस बात को लेकर संगरिया थाने में करीब दस बारह बार पंचायत हुयी थी। उन पंचायतों में उसके पति द्वारा उसे बसाने से इंकार कर दिया और कहा कि वह तलाक लेगा। उसका सामान उसके ससुराल में है। मुकदमा दर्ज कराने हेतु उसके द्वारा पुलिस थाने में दिया गया प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी 1 है। पुलिस अधीक्षक को दिया गया परिवाद प्रदर्शपी 2 है। न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद प्रदर्शपी 3 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके आयी चोटो का मेडिकल मुआयना हुआ था।

11. अभियोजन साक्षी पीड–2 सन्नी कुमार परिवादिया का भाई है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाक 23.11.2016 को उसकी बहिन तमन्ना की शादी रोहित से हुयी थी। शादी मे उसकी बहिन को स्त्रीधन के रूप मे सारा घरेलू सामान जिसमे बैड, सौफा और सोने व चांदी के जेवरात आदि सामान दिया था। इसके बाद इन दोनो पति व पत्नी का आपस मे लडाई झगडा चलने लगा। यह लडाई झगडा शादी के एक साल बाद होना शुरू हो गया था। यह लडाई झगडा पैसो की मांग को लेकर होता था। इसके बाद

रोहित यादव को नगद पैसे लगभग नब्बे हजार से एक लाख रूपये व एक स्कुटी दिलाई थी। फिर इसके बाद इनका आपस मे लडाई झगडा होने लग गया जो पैसो की मांग को लेकर होता था। आज से साढे तीन साल पहले उसकी बहिन के बच्चा हुआ था। बच्चा होने पर गाडी व पैसो की मांग को लेकर उसकी बहिन के साथ उन्होने मारपीट की। उसके बाद मे उसकी माता के द्वारा हाथ खडे कर दिये कि अब उसके पास और पैसे नहीं है। लॉकडाउन मे उसकी बहिन तमन्ना की नौकरी संविदा पर सरकारी अस्पताल हनुमानगढ मे लग गई थी। उसके बहनोई रोहित की किराने की दुकान है जो लॉकडाउन के समय खुला करती थी तब रोहित ने उसे कहा कि आप अपनी बहिन को अपने साथ ले जाओ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उसकी बहिन को रोहित का फोन आया था और उसे कहा था कि अपनी बहिन को उसके पास छोड दो। फोन पर उसकी बहिन के साथ रोहित की बोलचाल हो गई थी। उसके बाद उसकी बहिन के बच्चा होने पर जो छुछक का सामान व उसकी बहिन को रोहित के पास छोड आये। रोहित की मांग पुरी न होने पर रोहित ने कोई बहाना लगाकर उसकी बहिन को हनुमानगढ टाउन में मकान किराये पर लेकर छोड दिया था और उसे कहा था कि वह नियमित रूप से उसके पास आता रहुगां। कुछ दिन रोहित का उसकी बहिन के पास आना जाना रहा लेकिन कुछ समय बाद रोहित उसकी बहिन के पास आना जाना बंद हो गया। उसकी बहिन ने रोहित को आने के लिए फोन पर सम्पर्क किया तो रोहित ने आने से मना कर दिया। उसकी बहिन ने इस सम्बन्ध मे उसे सुचित किया तो उसके द्वारा अपनी बहिन को कहा कि आप पीलीबंगा जाकर रोहित से बात करो। उसकी बहिन बच्चे को साथ लेकर रोहित के पास उसकी दुकान पर गयी तो रोहित ने उसकी बहिन को स्पष्ट रूप से अपने साथ रहने से मना कर दिया और तलाक के कागजात न्यायालय मे लगाये जाने के बारे मे कहा। उस दिन मौके पर पुलिस आ गई थी और उसकी बहिन व बच्चे को पुलिस वाली गाडी मे बैठाकर वहां से ले गये। उसकी बहिन को बसाने के लिए हमने कई बार पंचायते की। उन सभी पंचायतो मे रोहित के द्वारा उसकी बहिन को बसाने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। बाद मे जरिये पंचायत रोहित को बच्चा दे दिया तो भी रोहित ने उसकी बहिन को बसाने से इन्कार कर दिया।

12. अभियोजन साक्षी पीड–4 अमीचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि तमन्ना यादव उसके परिवार में पोती लगती है। तमन्ना की शादी दिनांक 23.11.2016 को रोहित यादव पुत्र जरनेल सिंह यादव जाति यादव निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के साथ पीलीबंगा में हुई थी। मैं उस शादी में गया था। तमन्ना यादव अस्पताल में प्राइवेट नौकरी संविदा पर करती है। रोहित से तमन्ना के एक बेटा हुआ था जोकि वर्तमान में रोहित के पास है। तमन्ना यादव के परिवार वालों उसकी शादी में दहेज के तौर पर क्या सामान दिया था उसे नहीं पता। शादी के बाद से इन दोनों का आपस में विवाद रहने लग गया। अजखुद कहा कि बटाउ तमन्ना को रखने के लिए राजी नहीं थे। तमन्ना शादी के कहां रहती थी इस बात की उसे जानकारी नहीं है। इन दोनों के झगड़े के संबंध में पंचायत संगरिया थाना में हुई थी।

13. अभियोजन साक्षी पीड—5 आशीष सोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि तमन्ना यादव के परिवार के साथ उसके परिवार का धर्म का रिश्ता है जिसमें वो उसकी धर्म बहन लगती है। तमन्ना की शादी दिनांक 23.11.2016 को रोहित यादव पुत्र जरनेल सिंह यादव जाति यादव निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के साथ पीलीबंगा में हुई थी। मैं उस शादी में गया था। तमन्ना यादव अस्पताल में प्राइवेट नौकरी संविदा पर करती है। रोहित से तमन्ना के एक बेटा हुआ था जोकि वर्तमान में रोहित के पास है। तमन्ना यादव के परिवार वालों उसकी शादी में दहेज के तौर पर काफी सामान दिया था लेकिन क्या सामान दिया था उसे आज याद नहीं है। शादी के बाद से इन दोनों का आपस में विवाद रहने लग गया। अजखुद कहा कि बटाउ तमन्ना को रखने के लिए राजी नहीं थे। तमन्ना शादी के कहां रहती थी इस बात की उसे जानकारी नहीं है। इन दोनों के झगड़े के संबंध में पंचायत संगरिया थाना में हुई थी।

14. अभियोजन साक्षी पीड—6 इमीचंद सोलंकी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.1.22 को वह पीएस संगरिया में एसआई के पद पर तैनात था, उस दिन एफआईआर संख्या 46/2022 पीएस संगरिया जो कि प्रदर्श पी 4 है, में उसे एसएचओ विजय मीणा ने अनुसंधान सुपुर्द किया था, दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह तमन्ना यादव, अमीरचंद, आशीष सोनी, सन्नी कुमार, राजरानी के बयान उनके कहे अनुसार लिख जाकर शामिल पत्रावली किया। तमन्ना की आईआर, एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। एमओ सीएचसी संगरिया को तमन्ना की चोटो का मेडिकल मुआयना करवाने हेतु दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 5 है जिस पर ए से बी उसके साइन है। तमन्ना द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दहेज के सामान के संबंध में जिसमें उसके द्वारा अपना स्त्रीधन अपने ससुराल वालों के पास रखने हेतु कहा गया था, प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन व सी से डी उसके साइन है ई से एफ तमन्ना यादव व जी से एच राजरानी के साइन है। मैरिज प्रमाण पत्र तमन्ना व रोहित की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। बाद अनुसंधान उसके द्वारा रोहित यादव के विरूद्ध 498ए, 323 भादस प्रमाणित पाया गया। मुल्जिम रोहित यादव को दिनांक 3.2.22 को धारा 41(ए)(1) द.प्र.स. का नोटिस दिया गया था, जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम रोहित के साइन है मुल्जिम के द्वारा अनुसंधान में सहयोग किये जाने पर उसे पुनः धारा 41(ए)(1) द.प्र.स. का नोटिस दिनांक 21.7.22 को दिया गया, और उसे वरवक्त पेश होने आरोप पत्र न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। नोटिस प्रदर्श पी 8 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मु. रोहित के साइन है इसके उपरांत एसएचओ द्वारा उपरोक्त मुल्जिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में चालान पेश न्यायालय किया गया।

15. अभियोजन साक्षी पीड—7 विजय कुमार मीणा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.01.2022 को वह पीएस संगरिया में एसएचओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसके समक्ष धारा 156(3) द.प्र.स. के तहत एक परिवाद उसके समक्ष न्यायालय से मुकदमा दर्ज करने हेतु प्राप्त हुआ था। जो कि प्रदर्श पी 3 है जिस पर सी से डी मुकदमा दर्ज करने का

पृष्ठांकन कर ई से एफ अपने साईन किये। एफआईआर प्रदर्श पी 4 दर्ज की गयी, जिस पर ए से बी उसके साईन है। प्रकरण में अनुसंधान एसआई इमीचंद सोलंकी को सौंपा गया।

16. अभियोजन साक्षी पीड–8 डॉ. अरविन्द शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 28.01.2022 को सीएचसी संगरिया में एमओ के पद पर था। उस रोज उसने एसएचओ पीएस संगरिया के पत्र दिनांक 28.01.2022 प्राप्त होने पर श्रीमती तमन्ना यादव पुत्री हरीराम पत्नी रोहित यादव निवासी वार्ड नं. 5 पीलीबंगा, हाल वार्ड नं. 15 संगरिया के आई चोटों का मुआयना किया। एसएचओ पत्र प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके साईन, सीसे डी उसके साईन है। तमन्ना का आईआर प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी उसके साईन, सी से डी आहता का पहचान चिन्ह, आहता ने लगभग तीन माह पूर्व के लगभग चोट आना बताया था जो कि गालों के उपर दर्द बता रही थी जिसके संबंध में एक्सरे राय ली गयी। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है जिसमें कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया गया, जिस पर ए से बी उसके साईन व सी से डी उसकी राय अंकित है।

17. न्यायालय का विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण की परिवादिया तमन्ना यादव पीडब्ल्यू 1 व अभियुक्त रोहित यादव के मध्य धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है, ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध शेष रहे आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में यदि उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य को देखा जावे तो परिवादिया तमन्ना यादव पीडब्ल्यू–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में सुसंगत रूप से अंकित किया है कि उसका विवाह 23.11.2016 को अभियुक्त रोहित यादव के साथ संपन्न हुआ था, जिसके पश्चात अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा कम दहेज लाने का ताना मारते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, वर्ष 2018 में आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया गया, तथा बाद में समाज की बैठकों व नानी के देहांत के समय 1,00,000 / –रूपये नकद व स्कूटी एवं तत्पश्चात 3,00,000 / –रूपये व छुछक में गाड़ी की लगातार अवैध मांगें की गईं, यद्यपि जिरह में अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उससे यह स्वीकार कराया गया कि शादी के बाद वह करीब डेढ़ साल अलग किराए के मकान में रही और उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की, तथापि उसकी मुख्य परीक्षा में वर्णित निरंतर प्रताड़ना व निष्कासन के मूल कथनों को जिरह में खंडित नहीं किया जा सका। इस कथन की पूर्ण संपुष्टि परिवादिया के भाई सन्नी कुमार पीडब्ल्यू–2 की साक्ष्य से होती है, जिसने विवाह में दिए गए स्त्रीधन (बेड, सोफा, सोने–चांदी के जेवरात) का ब्यौरा देते हुए स्पष्ट किया है कि अभियुक्त रोहित द्वारा लगातार रुपयों व गाड़ी की मांग को लेकर उसकी बहन के साथ मारपीट व प्रताड़ना की जाती रही तथा अंततः उसे रखने से साफ मना कर दिया गया, और अभियुक्त पक्ष की जिरह में वह इस बात पर अडिग रहा कि रुपयों व गाड़ी की डिमांड शादी के बाद की गई थी। हालांकि स्वतंत्र गवाह अमीरचन्द पीडब्ल्यू–4 व आशीष सोनी पीडब्ल्यू–5 अपनी जिरह में पारिवारिक लेन–देन या विशिष्ट प्रताड़ना की विस्तृत जानकारी होने से अनभिज्ञ रहे, परंतु उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह के दौरान विवाह होने, परिवादिया

व अभियुक्त के मध्य विवाद रहने तथा अभियुक्त रोहित यादव द्वारा परिवादिया को साथ रखने के लिए राजी न होने व संगरिया थाने में हुई पंचायतों के तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अनुसंधान अधिकारी एएसआई इमीचंद सोलंकी पीडब्ल्यू–6 ने अनुसंधान के दौरान परिवादिया तमन्ना, सन्नी कुमार व अन्य के बयानों के आधार पर अभियुक्त रोहित यादव के विरुद्ध धारा 498–ए व 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाए जाने तथा न्यायसंगत चालान पेश करने की पुष्टि की है, जिसकी जिरह में भी यह तथ्य सुदृढ़ रहा कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद के कारण पंचायतें हुई थी तथा इस संपूर्ण अनुसंधान की सुदृढ़ता को पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मीणा पीडब्ल्यू–7 के साक्ष्य से बल मिलता है, जिन्होंने परिवाद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 दर्ज होने की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, डॉ. अरविन्द शर्मा पीडब्ल्यू–8 ने चिकित्सा मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 के माध्यम से परिवादिया के गालों पर दर्द व सूजन की शिकायत की पुष्टि की है, जिसे जिरह में अभियुक्त पक्ष द्वारा सामान्य सूजन बताने के प्रयास के बावजूद परिवादिया के प्रताड़ना के कथनों के समवर्ती साक्ष्य के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। यद्यपि अभियुक्त रोहित यादव ने बतौर बचाव साक्षी डीडब्ल्यू–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष स्वयं को निर्दोष बताते हुए यह तर्क दिया है कि उसने परिवादिया को अपने खर्चे पर पढ़ाया–लिखाया और केवल वैचारिक मतभेदों के कारण सक्षम न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदर्श डी–1 व डी–2 प्राप्त की है, तथापि अभियुक्त पक्ष अभियोजन के मुख्य गवाहान की जिरह में ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास या भौतिक विसंगति उजागर नहीं कर सका, जो उनके बयानों में वर्णित निरंतर दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के आरोपों को असत्य साबित कर सके, और मात्र विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर लेने से अभियुक्त पूर्व में कारित आपराधिक कृत्य व क्रूरता के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त रोहित यादव के विरुद्ध धारा 498ए, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत लगाए गए आरोपों को संदेह से परे पूर्णतः प्रमाणित करने में सफल रहा है।

18. उपर्युक्तानुसार अभियोजन पक्ष अपनी सुदृढ साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त रोहित यादव परिवादिया तमन्ना का पति होते हुए अपने विवाह के पश्चात् एवं परिवादिया द्वारा परिवाद पेश करने से पूर्व किसी भी समय परिवादिया से तीन लाख रूपये नगद व एक कार की माँग को लेकर परिवादिया को तंग, परेशान कर शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की एवं परिवादिया के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। हालांकि परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने के कारण अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त धारा में तस्दीक किया जा चुका है। ऐसे में अभियुक्त रोहित यादव को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया जाना तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना युक्तियुक्त व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

19. परिणामतः अभियुक्त रोहित यादव पुत्र जरनैल सिंह, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नंबर 16 पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध तथा आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

20. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि **10,000** /– रूपये का स्वयं का व्यक्तिगत बंध–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(सुजीत कुमार तँवर, आरजेएस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संगरिया, जिला हनुमानगढ़

21. सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो गया है और अब वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र भी पेश कर चुके हैं। परिवादिया के अभियुक्त के मध्य अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अभियुक्त नौजवान युवक है, जिसके जेल जाने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियुक्त प्रकरण में लंबे से से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं है। अतः इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को यथेष्ठ दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई।

22. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त का परिवादिया का से राजीनामा होना और अभियुक्त का नौजवान युवक होना तथा अभियुक्त का प्रकरण में लम्बे समय से अंवीक्षा भुगत रहा होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज को प्रकरण में प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिससे अभियुक्त का पूर्व दोषसिद्ध होना प्रकट होता हो। अभियुक्त की ओर से एक शपथ–पत्र इस आशय का भी पेश किया गया कि हस्तगत प्रकरण से पूर्व उनके द्वारा पूर्व में कभी भी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिया गया है। अत : ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को कोई दण्डादेश ना देकर उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

23. अतः अभियुक्त रोहित यादव पुत्र जरनैल सिंह, उम्र 34 साल, निवासी वार्ड नंबर 16 पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध करार दिये जाने पर धारा 4(1) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश

दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/—रूपये के जमानत मुचलके छः माह के लिए न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दें कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सद्भाव बनाए रखेगा, इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा जब भी तलब किया जाए, तब वह मूल अपराध में सजा भुगतने के लिए उपस्थित रहेगा, तो उसको परिवीक्षा पर रिहा किया जाए। साथ ही अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत 500/—रूपए की राशि अभियोजन व्यय स्वरूप न्यायालय में जमा करवायें।

24. साथ ही अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत लाभ दिया जाता है, जिससे उक्त दोषसिद्धि का कोई विपरीत प्रभाव अभियुक्त के राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक व विदेश जाने आदि पर नहीं पडेगा। परिवीक्षा की शर्त की पालना नहीं करने पर अभियुक्त को नियमानुसार दंड सुनाया जावेगा। दंड के लिए तैयार रहे।

(सुजीत कुमार तँवर, आरजेएस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

25. यह निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुजीत कुमार तँवर, आरजेएस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

VIKRAM SINGH
Steno IInd "Authenticate document" Digitally signed by VIKRAM SINGH Date: 2026.06.03 11:24:05 +0000